Regarding ensuring job security of more than 25 lakh teachers in view of RTE Act

श्री धर्मेन्द्र यादव (**आज़मगढ़**)**:** माननीय सभापति महोदया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । माणे जी ने जो बात कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के दो लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं ।

सभापति महोदया, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आने के बाद यह तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा । लेकिन उससे पहले के लिए यह प्रावधान रहा कि पहले के जो शिक्षक हैं, उन्होंने यह परीक्षा पास की है या नहीं की है या उस समय की सेवा-शर्तों के अनुरूप उनको जो नियुक्ति मिली है, उसी के अनुरूप वे सेवाएं देंगे । लेकिन 1 सितंबर, 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया । मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा कि यह केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं है । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवारों में पूरी तरह से असुरक्षा का भाव है । (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी ।

श्री धर्मेन्द्र यादव**:** सभापति महोदया, मेरी बात पूरी आने दीजिए । हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज यादा शिक्षक परेशान हैं । इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि अध्यादेश लाकर, संविधान संशोधन करके देश के 25 लाख शिक्षकों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करें । अगर आप नहीं करते हैं तो यह केन्द्र सरकार (व्यवधान) ।

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील जी ।